अधिसूचना

02/लेखा. **दिनांक- 18.02.22**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, जैसा कि सुश्री बीनू टम्टा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 162/2013 में दिनांक 17-07-2013 को पारित आदेश में कहा गया है, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा **झारखंड उच्च न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विनियम, 2021** को निम्नलिखित तरीके से अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाता है-

[झारखंड उच्च न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विनियम, 2021]

चूंकि लैंगिक भेदभाव एवं यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के तहत समानता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीने के अधिकार एवं सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी शामिल है।

और चूंकि लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तथा सम्मान के साथ काम करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और साधनों जैसे महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार हैं, जिसे 25 जून, 1993 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है;

और चूंकि भारत के संविधान और यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में प्रावधान करना आवश्यक है: -

अत: अब इन विनियमों को झारखंड उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और झारखंड उच्च न्यायालय में दर्ज की जाने वाली किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक व्यापक संहिता के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

अध्याय-1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ-

(1) इन विनियमों को ‘झारखंड उच्च न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2021’ कहा जाएगा।

(2) ये विनियम उस तारीख से लागू होंगे जिस दिन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसे अधिसूचना जारी करके लागू करेंगे।

2. परिभाषाएं-

इन विनियमों में, जब तक कि दूसरे संदर्भ में न लिया जाए -

(क) "पीड़ित महिला" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय से संबंधित किसी भी आयु की कोई भी महिला से है, जो यह दावा करे कि झारखंड उच्च न्यायालय के परिसर में किसी व्यक्ति द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया है, चाहे वह यहां कार्यरत हो या न हो;

(ख) "उपयुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय की शिकायत समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) वर्तमान विनियमन के संदर्भ में "झारखंड के मुख्य न्यायाधीश" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से है;

(ङ) "आदतन प्रतिवादी" वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय की शिकायत समिति को पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई हो, भले ही मामला जांच करके या बिना जांच के सुलझाया गया हो, सिवाय उन प्रतिवादियों के, जिन्हें पिछली शिकायत में दोषमुक्त कर दिया गया हो;

(च) "एचसीजेजीएसआईसीसी" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति से है, अर्थात् विनियमन 4 के तहत गठित शिकायत समिति;

(छ) "झारखंड उच्च न्यायालय परिसर" का तात्पर्य झारखंड उच्च न्यायालय के संपूर्ण परिसर से है, जिसमें न्यायालय भवन, खुला मैदान, पार्किंग, चैंबर ब्लॉक, पुस्तकालय, कैंटीन, बार-रूम, स्वास्थ्य केंद्र और/या झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के नियंत्रण में परिसर का कोई भी अन्य भाग;

(ज) "आंतरिक उप समिति" का तात्पर्य विनियम 9 के तहत गठित उप-समिति से है;

(झ) "सदस्य" का अर्थ है शिकायत समिति का सदस्य;

(ञ) "निर्धारित" का अर्थ है वर्तमान विनियमों द्वारा निर्धारित;

(ट) "प्रतिवादी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध पीड़ित महिला ने वर्तमान विनियमों के अंतर्गत शिकायत की है;

(ठ) "यौन उत्पीड़न" के अतंर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक अवांछित कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) हैं, अर्थात्: -

(i) शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना;

(ii) यौन स्वीकृति की मांग अथवा आग्रह

(iii) अश्लील टिप्पणी करना

(iv) किसी भी माध्यम से पोर्नोग्राफी और/या अश्लील सामग्री दिखाना या प्रदर्शित करना

(v) इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल या अन्य माध्यमों से अवांछनीय अश्लील मौखिक या लिखित संदेश, पाठ संदेश, ई-मेल संदेश या ऐसा कोई भी संदेश भेजना;

(vi) झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में और उसके बाहर पीड़ित महिला का लगातार पीछा करना या उसका रास्ता रोकना;

(vii) पीड़ित महिला के निजी पलों में प्रतिवादी द्वारा किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन अथवा ताक-झाँक करना;

(viii) कोई भी आचरण जिसके द्वारा प्रतिवादी अपने पद का लाभ उठाते हुए पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता है और यौन स्वीकृति की मांग करता है, विशेष रूप से करियर में उन्नति का वादा करके, चाहे वह स्पष्ट रूप से हो या अस्पष्ट रूप से, प्रतिवादी के आग्रह/मांगों के आगे झुकने के लिए प्रोत्साहन या स्वाभाविक परिणाम के रूप में हो,

(ix) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, भाषिक या अभाषिक इशारा;

(x) उसके कानूनी करियर में उन्नति सबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वादा;

(xi) उसके कानूनी करियर में प्रतिकूल कार्य करने की अस्पष्ट या स्पष्ट धमकी;

(xii) उसके वर्तमान या भविष्य के कानूनी करियर के बारे में अस्पष्ट या स्पष्ट धमकी;

(xiii) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने वाला या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्यालय का वातावरण बनाना; या

(xiv) कोई भी ऐसा व्यवहार जो अश्लील हो और जो उसके भावनात्मक और/या शारीरिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता हो।

(ड) "स्वयंसेवक" का अर्थ है शिकायत समिति द्वारा इन विनियमों के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सूचीबद्ध वकील या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो।

3. यौन उत्पीड़न की रोकथाम-

झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

अध्याय- 2

झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति की संरचना एवं गठन

4. झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति का गठन-

(1) झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति का गठन जनता को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने तथा झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई किसी भी शिकायत का समाधान करने के बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(2) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेंगे जिसे "झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति (एचसीजेजीएसआईसीसी) के नाम से जाना जाएगा, जिसमें न्यूनतम 7 सदस्य

और अधिकतम 13 सदस्य होंगे और जहां तक संभव हो, निम्नलिखित व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा: -

(क) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, [(1997) 6 एससीसी 241 और एआईआर 1997 एससी 3011] के मामले में पारित निर्णय के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के एक या दो न्यायाधीश, जिनमें से एक समिति का अध्यक्ष होगा, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा। यदि उस समय झारखंड उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो वे झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य या अध्यक्ष होंगी, जैसा भी मामला हो;

(ख) झारखंड उच्च न्यायालय के किसी भी बार एसोसिएशन के एक या दो वरिष्ठ सदस्य को, जो उस बार एसोसिएशन का कम से कम 20 वर्ष से सदस्य हो, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी;

(ग) सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों के सामान्य मतपत्र द्वारा गए एक या दो सदस्य, जो संबंधित एसोसिएशन के कम से कम 10 वर्षों से पंजीकृत सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी,

(घ) झारखंड उच्च न्यायालय के किसी भी बार एसोसिएशन की एक महिला सदस्य, जो अधिवक्ताओं के सामान्य मतपत्र द्वारा चुनी गई हो और जिसके पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो;

(ङ) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यूनतम एक, और अधिकतम दो बाहरी सदस्य। ऐसे व्यक्ति, जो समाज कल्याण विभाग या गैर-सरकारी संगठन से जुड़े हों और सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और/या लैंगिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव रखते हों, उनमें भी कम-से-कम एक सदस्य महिला होगी;

(च) झारखंड उच्च न्यायालय में सेवारत एक महिला अधिकारी, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, जो एचसीजेजीएसआईसीसी के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी और वह अधिकारी उच्च न्यायालय के सहायक निबंधक के पद से नीचे की अधिकारी नहीं होनी चाहिए। यदि उच्च न्यायालय में ऐसी कोई महिला अधिकारी नहीं है, तो संयुक्त/सहायक निबंधक (न्यायिक) एचसीजेजीएसआईसीसी का सदस्य सचिव होगा, और

(छ) कोई अन्य सदस्य जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नामित करना उचित समझें।

प्रावधान किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एचसीजेजीएसआईसीसी के अधिकांश सदस्य महिलाएं हों।

(3) इस विनियम के अनुच्छेद 4(2) (ङ) के तहत नियुक्त बाहरी सदस्य को एचसीजेजीएसआईसीसी की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवंटित निधियों में से यथा निर्धारित शुल्क/भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(4) यदि एचसीआईजीएसआईसीसी का अध्यक्ष या कोई सदस्य-

(क) किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है या उसके खिलाफ किसी कानून के तहत अपराध की जांच चल रही है;

(ख) किसी विशेष शिकायत की जांच के लिए आंतरिक उप-समिति गठित करने में विफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के तहत कार्रवाई करने में विफल रहता है;

(घ) इस विनियम के प्रावधानों का या इस विनियम के तहत जारी किसी भी अधिसूचना/ आदेश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है;

या

(ङ) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उसका पद पर बने रहना एचसीजेजीएसआईसीसी के कार्यों के सम्पादन के लिए हानिकारक है, तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, जो भी हो, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिखित आदेश द्वारा एचसीजेजीएसआईसीसी से तुरंत हटा दिया जाएगा और इस तरह रिक्त हुए पद को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नए नामांकन/चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

5. झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल-

एचसीजेजीएसआईसीसी के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा और किसी भी सदस्य का निर्वाचन/नामांकन अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही किया जा सकेगा। विनियमन 4(ङ) के तहत हटाए गए सदस्य पुनः नामांकन/चुनाव के पात्र नहीं होंगे।

6. झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति की बैठकें-

(1) एचसीजेजीएसआईसीसी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में चार महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।

(2) सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को लिखित रूप में और/या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से बैठकों और एजेंडे की सूचना दी जाएगी।

(3) सभी बैठकों के कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे, उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। सदस्य सचिव बैठक के कार्यवृत्त तथा पारित प्रस्तावों को बैठक के आयोजन अथवा संकल्प पारित होने के 7 दिनों के भीतर एचसीजेजीएसआईसीसी के सभी सदस्यों को प्रचालित करेंगे।

(4) आम बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचित करेगा।

(5) एचसीजेजीएसआईसीसी का कोई भी सदस्य अड़तालीस घंटे पूर्व सूचना देकर कभी भी आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध अध्यक्ष से कर सकता है। तथापि, आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वह अड़तालीस घंटे पूर्व सूचना दे ही।

(6) सभी बैठकों के लिए कोरम एचजीजेजीबीसीसी के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी। किसी बैठक के लिए कोरम पूरा न होने की स्थिति में, अगले दस दिनों के भीतर स्थगित बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) जिन मुद्दों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, उन्हें छोड़कर सभी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों और मतदाताओं के आम बहुमत से पारित किए जाएंगे।

जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या आंतरिक उप-समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो सदस्य-सचिव सात दिनों के भीतर अध्यक्ष से उस पर कार्रवाई करने के लिए एक साधारण या आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध करेंगे और अध्यक्ष शिकायत या रिपोर्ट की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस हेतु बैठक बुलाएंगे।

यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तत्काल हटाए जाने का पात्र होगा और इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को विनियमन के अनुसार भरा जाएगा।

7. झारखंड उच्च न्यायालय लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति के कार्य-

(1) झारखंड उच्च न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण के संबंध में एचसीजेजीएसआईसीसी समय-समय पर नीतियां बनाएगी तथा उसका क्रियान्वयन करेगी।

(2) लैंगिक संवेदनशीलता एवं जागरुकता-

एचसीजेजीएसआईसीसी लैंगिक संवेदनशीलता एवं जागरुकता के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी:

(i) एचसीजेजीएसआईसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण पर बनाई गई नीति का झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे न्यायालय भवन, पुराने एवं नए चैंबर ब्लॉक, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, बार एसोसिएशन को आवंटित स्थान तथा उच्च न्यायालय परिसर में अवस्थित खुले स्थान, जहां आम जनता की आसान पहुंच हो, प्रमुखता से प्रचार-प्रसार हो।

(ii) झारखंड उच्च न्यायालय समुदाय में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एचसीजेजीएसआईसीसी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पोस्टरों, फिल्मों, शो, वाद-विवाद, प्रदर्शनी आदि जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(iii) एचसीजेजीएसआईसीसी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हर वर्ष 31 दिसंबर तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें इसके द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण होगा और अगले वर्ष में की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों की रूरेखा भी होगी, साथ ही इसके लिए आवश्यक बजट एवं भत्ते का विवरण भी होगा। एचसीजेजीएसआईसीसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन विनियमों के तहत दायर किए गए मामलों की संख्या और उनके निपटान को भी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा।

(iv) एचसीजेजीएसआईसीसी इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, संघों, स्वयंसेवकों, वकीलों, वकील निकायों या संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों की मदद लेने के लिए उन्हें सूचीबद्ध कर सकता है।

(v) एचसीजेजीएसआईसीसी स्वयंसेवकों की एक पर्याप्त संख्या वाली एक प्रतिनिधि टीम तैयार करेगी और उसे सक्रिय करेगी; साथ ही अपने सभी सदस्यों और स्वयंसेवकों के

संपर्क विवरण (आधिकारिक और व्यक्तिगत दोनों) का व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करेगी। ऐसे स्वयंसेवकों की सेवाएं किसी भी पीड़ित महिला के लिए अथवा परामर्श या मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को हर समय उपलब्ध रहेंगी। ये स्वयंसेवक एचसीजेजीएसआईसीसी के लैंगिक संवेदनशीलता, संकट मध्यस्थता और संकट प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहायता करेंगे, लेकिन इन विनियमों और प्रक्रियाओं के तहत शिकायतों के औपचारिक निवारण कार्य में भाग नहीं लेंगे।

(vi) एचसीजेजीएसआईसीसी सदस्यों और स्वयंसेवकों को संगठित और प्रशिक्षित करेगी ताकि वे यौन उत्पीड़न के मामलों को हल करने के लिए तथा उनकी कानूनी और चिकित्सकीय सहायता करने के लिए तैयार हो सकें।

(3) संकट प्रबंधन और मध्यस्थता-

एचसीजेजीएसआईसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पीड़ित महिलाओं के लिए त्वरित और उत्तरदायी संकट प्रबंधन, परामर्श और मध्यस्थता उपलब्ध हो, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होंगी:

(i) एचसीजेजीएसआईसीसी झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं से उत्पन्न संकट की मध्यस्थता में सहायता करेगी।

(ii) एचसीजेजीएसआईसीसी की स्वीकृति के बिना कोई मध्यस्थता संपन्न नहीं होगी, तथा मध्यस्थता से किया गया मामले का निपटान एचसीजेजीएसआईसीसी द्वारा विधिवत स्वीकृत होने तथा इस बात की संतुष्टि पर ही लागू होगा कि उक्त मध्यस्थता द्वारा किया गया निपटान स्वैच्छिक, उचित, पक्षपात रहित तथा किसी भी बाहरी विचार या प्रभाव से मुक्त है।

एचसीजेजीएसआईसीसी झारखंड उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों के नियंत्रण अधिकारी के साथ समन्वय करेगा, ताकि संकट की रोकथाम तथा संकट प्रबंधन की ऐसी प्रणाली तैयार की जा सके, जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ त्वरित तथा प्रभावी भी हो। यह समिति झारखंड उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त

पुलिस कर्मियों के नियंत्रण अधिकारी के साथ सदस्य सचिव के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यौन उत्पीड़न की घटनाओं से उत्पन्न संकटों में, एचसीजेजीएसआईसीसी सदस्यों तथा/या स्वयंसेवकों को बिना किसी देरी के ऐसी घटनाओं की सूचना दी जाए।

(4) शिकायत निवारण-

एचसीजेजीएसआईसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित महिला की हर शिकायत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाए। एचसीजेजीएसआईसीसी के पास उच्च न्यायालय के पूरे परिसर में किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई शिकायत में प्रतिवादी/अपराधी के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

अध्याय- 3

शिकायत दर्ज करना और शिकायत की जांच

8. यौन उत्पीड़न की शिकायत-

(1) कोई भी पीड़ित महिला झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत एचसीजेजीएसआईसीसी के सदस्य सचिव के माध्यम से उसके द्वारा अधिसूचित प्रारूप और प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करा सकती है।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि पीड़ित महिला किसी कारणवश शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ है, तो एचसीजेजीएसआईसीसी का सदस्य या स्वयंसेवक महिला को लिखित में शिकायत करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(2) जहां पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मृत्यु या किसी अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या उसके हितों से सीधे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति इस विनियमन के तहत शिकायत कर सकता है।

9. शिकायत की जांच-

(1) शिकायत प्राप्त होने पर तथा शिकायत की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट होने पर, एचसीजेजीएसआईसीसी तथ्यान्वेषण जांच करने के लिए एक आंतरिक उप-समिति का गठन करेगी, जिसमें एचसीजेजीएसआईसीसी के स्वयं के तीन सदस्य या एचसीजेजीएसआईसीसी द्वारा अपनी बैठक में नामित किए गए अन्य व्यक्ति शामिल होंगे। अधिकांश सदस्य महिलाएं होंगी तथा कम से कम एक व्यक्ति बाहरी सदस्य होगा।

(2) आंतरिक उप-समिति जांच करेगी तथा पीड़ित महिला तथा प्रतिवादी के बयान सुनेगी। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के बयानों को भी सुनेगी, जिसकी गवाही उक्त पक्षकार प्रस्तुत करना चाहते हैं। सभी बयानों को विधिवत दर्ज किया जाएगा, जो इस विनियमन के 13(2) के प्रावधानों के अधीन होगा। उसके पश्चात समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसमें जांच की पूरी कार्यवाही संलग्न करेगी।

(3) शिकायत की तथ्यान्वेषी जांच आंतरिक उप-समिति के गठन के नब्बे दिनों के भीतर ही आयोजित की जाएगी तथा पूरी भी की जाएगी।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि आंतरिक उप-समिति के नियंत्रण से परे कारणों से निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर जांच की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

10. जांच रिपोर्ट-

(1) इन विनियमों के अंतर्गत जांच पूरी होने पर आंतरिक उप-समिति अपने अन्वेषण की जांच रिपोर्ट, दलीलों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सामग्री सहित जांच कार्यवाही के पूरे

रिकॉर्ड के साथ, जांच पूरी होने की तिथि से दस दिनों के भीतर एचसीजेजीएसआईसीसी को उपलब्ध कराएगी तथा ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां आंतरिक उप-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है, वह एचसीजेजीएसआईसीसी को सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जहां आंतरिक उप-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है, वह एचसीजेजीएसआईसीसी को लैंगिक भेदभाव और/या यौन उत्पीड़न के लिए उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

(4) रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और आंतरिक उप-समितियों की जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यदि एचसीजेजीएसआईसीसी के दो-तिहाई से अधिक सदस्य आंतरिक उप-समिति के निष्कर्ष से सहमत नहीं होते हों, तो एचसीजेजीएसआईसीसी पीड़ित महिला और प्रतिवादी की सुनवाई स्वयं करेगी। उसके बाद रिपोर्ट से असहमति का कारण स्पष्ट करेगी और तदनुसार आगे कार्रवाई करेगी।

(5) एचसीजेजीएसआईसीसी आंतरिक उप-समिति की जांच रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी आदेश पारित करेगी और उसके बाद अंतिम आदेश पारित करेगी जो यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए तथा यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को न्याय देने के लिए उचित और आवश्यक हों। शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पैंतालीस दिनों के भीतर यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए ये सभी कदम उठाए जाएँगे, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय में छुट्टियों और/या अवकाश की अवधि शामिल नहीं है। यह भी प्रावधान किया जाता है एचसीजेजीएसआईसीसी के आदेशों की वैधता पर सवाल केवल इस आधार पर नहीं उठाया जा सकेगा कि वे निर्धारित समय के भीतर पारित नहीं किए गए हैं।

11. जांच रिपोर्ट पर आदेश-

(1) उपरोक्त विनियमन 9(1) के अधीन, एचसीजेजीएसआईसीसी को यौन उत्पीड़न की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करने की शक्ति होगी:

(क) चेतावनी देना;

(ख) न्यायालय परिसर में वाद सूची और झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट जैसे स्थानों पर प्रकाशित करके चेतावनी देना;

(ग) पीड़िता को किसी भी तरह से परेशान करने पर रोक, जिसमें फोन, संदेश, इलेक्ट्रॉनिक साधन, भौतिक या अन्य किसी भी साधन द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए उससे संपर्क करने पर रोक लगाना; और

(घ) विनियमन 11(2) के अधीन, पीड़ित महिला का यौन उत्पीड़न समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी आदेश, निर्देश और/या निर्देश पारित करना।

(2) सीजेजीएसआईसीसी के पास प्रतिवादी के खिलाफ निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सिफारिश करने की शक्ति होगी- हालांकि समिति इससे इतर शिफारिशें भी कर सकती है।

(क) झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध, जो अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और

(ख) उपयुक्त होने पर, प्रतिवादी को नियंत्रित करने वाले संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी (संबंधित बार काउंसिल सहित) के समक्ष उचित कार्रवाई करने के लिए आपराधिक शिकायत और/या अनुशासनात्मक शिकायत दर्ज करने की सिफारिश करना और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनियमन 12 के अधीन उस पर आदेश पारित कर सकते हैं।

(3) एचसीजेजीएसआईसीसी जांच रिपोर्ट पर आदेश पारित करेगा और/या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पैंतालीस दिनों के भीतर (जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय की छुट्टियां शामिल

नहीं है) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सिफारिशें करेगा, और इसकी सूचना संबंधित पक्षों को भी देगा;

(4) एचसीजेजीएसआईसीसी और आंतरिक उप-समिति के पास शिकायत पर गौर करने, शिकायत की जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यह ध्यान में रखा जाएगा कि उसी शिकायत/कार्रवाई के संबंध में कोई आपराधिक शिकायत या किसी अन्य कानून के तहत (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित) इसी शिकायत पर कोई कार्रवाई न की गई हो;

(5) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एचसीजेजीएसआईसीसी के आदेश अंतिम होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

12. अभ्यावेदन-

(1) कोई भी व्यक्ति जो विनियमन 11(1) के तहत एचसीजेजीएसआईसीसी द्वारा पारित आदेश से या वांछित आदेश पारित नहीं किए जाने पर अथवा विनियमन 11(2) के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एचसीजेजीएसआईसीसी द्वारा की गई सिफारिश या आदेशों या कार्रवाई किए जाने या फिर वांछित कार्रवाई न किए जाने के कारण व्यथित है, वह व्यक्ति झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अभ्यावेदन समर्पित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश के पास पारित आदेशों या की गई सिफारिशों को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति होगी, जैसा मुख्य न्यायाधीश उचित समझें। उन्हें ऐसे आदेश या निर्देश जारी करने की भी शक्ति होगी जो यौन उत्पीड़ीत महिला को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों। उक्त अभ्यावेदन विनियमन 12(1) के तहत आदेश या सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पेश किया जाएगा।

13. प्रतिबंध का आदेश-

(1) शिकायत प्राप्त होने के बाद और जांच लंबित रहने के दौरान, पीड़ित महिला द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर यदि एचसीजेजीएसआईसीसी उचित समझे, तो वह झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने हस्ताक्षरित निर्णय सौंपकर विशिष्ट अंतरिम उपाय सुझा सकता है, तथा उस निर्णय की प्राप्ति पर मुख्य न्यायाधीश ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं जो पीड़ित महिला की व्यक्तिगत सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक हों। प्रतिवादी उस आदेश से बाध्य होगा।

(2) प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त खंड (1) के तहत पारित आदेश की अवज्ञा, अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर, एचसीजेजीएसआईसीसी प्रतिवादी को बचाव का मौका नहीं देगी और विनियमन 10(5) और विनियमन 11 के तहत अंतिम आदेश पारित कर देगी।

अध्याय- 4

शक्तियाँ एवं कर्तव्य

14. एचसीजेजीएसआईसीसी एवं आंतरिक उप-समिति की शक्तियाँ-

(1) एचसीजेजीएसआईसीसी को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने तथा वर्तमान विनियमन के प्रावधानों को उनकी भावना एवं आशय के अनुसार कार्यान्वित करने के उद्देश्य से परिपत्र/अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्ति होगी।

(2) एचसीजेजीएसआईसीसी को वर्तमान विनियमन के उद्देश्यों एवं संकल्पों को कार्यान्वित करने हेतु कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसमें किसी पक्ष या व्यक्ति को उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश देना भी शामिल है।

(3) निम्नलिखित मामलों में किसी मुकदमे की सुवाई के दौरान मामले की जाँच करने के लिए, एचसीजेजीएसआईसीसी एवं आंतरिक उप-समिति के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका बयान दर्ज करना

(ख) दस्तावेजों की खोज एवं प्रस्तुतीकरण की मांग करना तथा

(ग) कोई अन्य कार्य जो निर्धारित किया जाए।

(4) एचसीजेजीएसआईसीसी दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा आंतरिक उप-समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकती है और उसके स्थान पर नए सदस्य को नियुक्त कर सकती है, परंतु केवल तभी जब उसे ऐसा प्रतीत होता हो, कि उस सदस्य ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्य किया है और जांच में पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया है;

(5) एचसीजेजीएसआईसीसी के पास हर समय आंतरिक उप-समिति का पर्यवेक्षण करने की शक्ति रहेगी। समिति वर्तमान विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर आंतरिक उप-समितियों को निर्देश जारी कर सकती है।

15. कर्तव्य-

एचसीजेजीएसआईसीसी झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यालय के साथ समन्वय और सहायता से-

(क) झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए उपाय करेगी;

(ख) झारखंड उच्च न्यायालय के सभी प्रमुख स्थानों पर और वेबसाइट पर भी यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों तथा वर्तमान विनियमों के तहत आंतरिक समिति के गठन संबंधी आदेशों को प्रदर्शित करेगी;

(ग) झारखंड उच्च न्यायालय के सभी प्रमुख स्थानों पर और वेबसाइट पर भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों की स्थिति और परिणाम को प्रदर्शित करेगी;

(घ) झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में काम करने वाले व्यक्तियों को वर्तमान विनियमों के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए निर्धारित तरीके से प्रेरण कार्यक्रम आयोजित करेगी;

(ङ) शिकायत से निपटने और जांच करने के लिए आंतरिक उप-समिति को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी;

(च) आंतरिक उप-समिति के समक्ष प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेगी;

(छ) आंतरिक उप-समिति के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करेगी, जिसकी शिकायत के संबंध में उसे आवश्यकता हो;

(ज) प्रतिवादी और/या अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ करेगी;

(झ) आंतरिक उप-समिति द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी करेगी; और

(ञ) वर्तमान विनियमों का प्रभावी और सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य कार्रवाई और/या उपाय भी करेगी।

अध्याय- 5

विविध

16. गोपनीयता-

(1) वर्तमान विनियमों के अंतर्गत की गई शिकायत की विषय-वस्तु, पीड़ित महिला, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और पते, एचसीजेजीएसआईसीसी की जांच कार्यवाही की सिफारिशों और एचसीजेजीएसआईसीसी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सभी

जानकारियां गोपनीय रखी जाएगी और इसे किसी भी तरह से आम जनता, प्रेस और मीडिया में प्रकाशित, संप्रेषित या प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रकटीकरण तभी किया जाएगा, जब स्वयं पीड़ित महिला लिखित रूप में ऐसा करने के लिए विशिष्ट अनुरोध करे और एचसीजेजीएसआईसीसी उक्त अनुरोध को स्वीकार भी कर ले।

(2) प्रतिवादी के दोषी पाए जाने पर, इन विनियमों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की किसी भी पीड़िता को प्राप्त न्याय के बारे में जानकारी प्रसारित की जा सकती है, परंतु उस जानकारी में नाम, पता, पहचान या कोई अन्य ऐसा विवरण नहीं होगा, जिससे पीड़ित महिला और गवाहों की पहचान उजागर हो जाए।

17. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई पर सुरक्षा-

इन विनियमों और इसके तहत जारी परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए या उस इरादे से किए गए किसी भी कार्य के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एचसीजेजीएसआईसीसी और आंतरिक उप-समिति, उसके सदस्यों के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

18. निधियों का आवंटन-

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, यथानिर्धारित उपयुक्त निधियों का आवंटन और प्रावधान कर सकते हैं।

(क) वर्तमान विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए;

(ख) संबंधित सूचना, जानकारी, प्रचार-सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण, जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और इन विनियमों के प्रावधानों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए; या

(ग) एचसीजेजीएसआईसीसी के सदस्यों, आंतरिक उप-समितियों, स्वयंसेवकों, परामर्शदाताओं आदि के लिए प्रेरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।

19. ये विनियम किसी अन्य कानून के उल्लंघन में नहीं हैं-

(1) इन विनियमों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका उल्लंघन नहीं करेंगे।

(2) वर्तमान विनियमों के प्रावधान किसी भी न्यायालय को किसी अन्य अधिनियम या कानून के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

जिस तारीख को यह विनियमन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, उसी तारीख से यह लागू होगा।

ह०/- मोहम्मद शाकिर

महानिबंधक